


03 वोट चोरी के लग रहे आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान

06 ग्रामीण विकास को गति देती पंचायतें

08 झारखंड के गोड्डा में सैप्टिक टैंक में दम घुटने से चार लोगों की मौत

## टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)



### TEMPLE OF LIBERALIZATION AND WELFARE ALLIED TRUST (REGD.)



पिकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

**सामाजिक सुरक्षा का अधिकार** प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर (UDHR) अनुच्छेद 22) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीईएससीआर (ICESCR) अनुच्छेद 9) में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था या अन्य अनिश्चित परिस्थितियों में सुरक्षित रहें। इसमें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच शामिल है, ताकि कोई भी व्यक्ति चरम

गरीबी या विपन्नता में न रहे। भारत में, मनरेगा (रोजगार गारंटी), वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवा), और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा) जैसी योजनाएँ इस अधिकार को पूरा करने का हिस्सा हैं।

**2. अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति** यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर अनुच्छेद 5) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसी सीपीआर अनुच्छेद 7) से लिया गया है।

यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड का शिकार नहीं होना चाहिए।

**अपमानजनक व्यवहार का अर्थ है** — ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति को अपमानित करे, उसकी गरिमा छीन ले या उसे "मानव से कमतर" समझे। यह सिद्धांत केवल जेलों या पुलिस हिरासत में ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, अस्पतालों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक नीतियों में भी लागू होता है।

उदाहरण: यदि हाशिए पर खड़े समुदायों को सामाजिक लाभ से वंचित किया जाए या मदद देते समय उन्हें अपमानित किया जाए, तो यह अपमानजनक व्यवहार माना जाएगा।

**3. दोनों के बीच संबंध** यदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित किया जाए या उन्हें गरिमा के बिना जीवन जीने को मजबूर किया जाए, तो यह स्वयं एक प्रकार का अपमानजनक

व्यवहार है। उदाहरण: यदि बुजुर्गों को पेंशन देने के बजाय भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाए, या गरीबों को राशन वितरण के समय अपमानित किया जाए, तो यह सामाजिक सुरक्षा के अधिकार और गरिमा के अधिकार दोनों का उल्लंघन है।

**संक्षेप में:-**

1. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार = जरूरत के समय सुरक्षा।

2. अपमानजनक व्यवहार या दंड से मुक्ति = गरिमा और मानवीय व्यवहार की गारंटी।

दोनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि सच्ची सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सम्मान, गरिमा और निष्पक्षता के साथ दी गई मदद है।

## BHARAT MAHA EV RALLY

### GREEN MOBILITY AMBASSADOR

Print Media - Delhi

India's (Bharat) Longest Ev Rally

200% Growth in EV Industries

10,000+ Participants

10 L Physical Meeting

1000+ Volunteers

100+ NGOs

100+ MOU

1000+ Media

500+ Universities

2500+ Institutions

23 IIT

28 States

9 Union Territories

30+ Ministries

21000+KM

100 Days Travel

1 Cr. Tree Plantation

Sanjay Batla

9 SEP 2025

ORGANIZED BY: IFEVA

INTERNATIONAL FEDERATION OF ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATIONS

+91-9811011439, +91-9650933334

www.fevev.com

info@fevev.com

## एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तय किया सीपी राधाकृष्णन का नाम

पिकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुना गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

घोषणा के बाद जे. पी. नड्डा ने कहा कि, "एनडीए की ओर से यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। हमारी कोशिश है कि चुनाव निर्विरोध हो और विपक्षी दलों को भी इस पर सहमति बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।"

**राजनीति में चार दशक का अनुभव**

सी. पी. राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर चार दशकों से अधिक लंबा है। वे मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं

और भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें पार्टी के एक अनुभवी और व्यवहारकुशल नेता के तौर पर जाना जाता है।

**राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन का अनुभव**

राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए भाजपा ने तृत्व ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है।

**निर्विरोध चुनाव होने की पूरी**

संभावना. एनडीए को विश्वास है कि राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों से भी इस नाम पर समर्थन मांगा जाएगा ताकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आम सहमति से संपन्न हो सके। यदि निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, तो सी. पी. राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे।

**सी. पी. राधाकृष्णन : एक नजर में**

पूरा नाम: सी. पी. राधाकृष्णन

जन्मस्थान: तमिलनाडु

राजनीतिक करियर: 40 वर्ष से अधिक का अनुभव

पद: वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल

**पूर्व में झारखंड के राज्यपाल**

पहचान: भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेता, संगठनात्मक मजबूती के लिए जाने जाते हैं

विशेषता: सर्वस्वीकार्य छवि, प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव

राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए भाजपा ने तृत्व ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है।

**निर्विरोध चुनाव होने की पूरी**

संभावना. एनडीए को विश्वास है कि राधाकृष्णन निर्विरोध चुने जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों से भी इस नाम पर समर्थन मांगा जाएगा ताकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आम सहमति से संपन्न हो सके। यदि निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, तो सी. पी. राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे।

**सी. पी. राधाकृष्णन : एक नजर में**

पूरा नाम: सी. पी. राधाकृष्णन

## परिवहन उद्योग की चुनौतियों पर खुली चर्चा मान-सम्मान और स्वाभिमान के माहौल में ही संभव है सुचारु परिवहन: डॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज

**राउरकेला:** राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन की एक अहम बैठक रविवार को ब्राह्मणी क्लब में आयोजित हुई। बैठक में परिवहन उद्योग से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव सहित जगदीश हरित, अश्विन शाह, राममेहर शर्मा, नरेश अग्रवाल, मानस मोहंती, नंदकिशोर सिंह, शंकर लाल शर्मा, जसविंदर सिंह गोल्डी, चरणजीत सिंह, मोहम्मद सलीम, राकेश जायसवाल मुन्ना, श्याम प्रसाद, रामाग्या प्रसाद, उमेश सिंह, अमित खंडेलवाल, राजेश श्रीवास्तव, राजकुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।

चर्चा के दौरान विभिन्न लॉजिंग प्वाइंट्स पर मनमानी, डिटेन्शन चार्ज, माल मिलावटी, बिना एसोसिएशन की सदस्यता के आपूर्ति कराने, पार्किंग की समस्या जैसी गंभीर चुनौतियों पर विचार-विमर्श हुआ। अगली रणनीति तय करने के लिए 5 सितंबर को फिर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. राजकुमार यादव ने कहा कि— "बाजार और मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण है मान-सम्मान और स्वाभिमान। भयमुक्त और खुले वातावरण में कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता होगी।" उन्होंने सभी सदस्यों के समर्थन के लिए आभार जताया और ट्रांसपोर्टों के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने का आश्वासन दिया। सभा के अंत में मोहम्मद सलीम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।



## 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर, एनसीआर वालों को पीएम मोदी की सौगात, UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर वालों को अर्बन एक्सप्रेसवे रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग की सौगात दी। 11000 करोड़ रुपये की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम मुक्त करने और यातायात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंधु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में पूरा होगा।

**परिवहन विशेष न्यूज**

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 अगस्त) को अर्बन एक्सप्रेसवे रोड-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) के दिल्ली भाग का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी मौजूद रहे। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले इन दो हाई स्पीड कॉरिडोरों के लोकार्पण से लोगों की आवाजाही आसान होगी। लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दोनों सड़क परियोजनाओं से एनसीआर के अलावा देश के अन्य

हिस्सों में यातायात संचालन बेहतर होगा।

अब द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंधु बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। पहले इस सफर में 2 घंटे का वक्त लगता था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।

बक्करवाला मुंडका टोल के पास से रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, पीएम मोदी ने तृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूँ कि आप दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है। जिनकी नीतियाँ सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य बराबर का भागीदार है। जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। आप वो ताकत हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है।

**एक नजर में द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट**



इसे कुल चार पैकेज में बांटा गया है। दो पैकेज गुरुग्राम इलाके में और दो पैकेज दिल्ली इलाके में हैं। गुरुग्राम के दोनों पैकेज की निर्माण की जिम्मेदारी एलएंडटी नामक कंपनी के पास है। दिल्ली के दोनों पैकेज की जिम्मेदारी जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक कंपनी के पास है। गुरुग्राम में पहला पैकेज खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से बसई-धनकोट के नजदीक तक 8.76 किलोमीटर का है।



गुरुग्राम में दूसरा पैकेज बसई-धनकोट के नजदीक से गुरुग्राम-दिल्ली सीमा तक 10.2 किलोमीटर का है। दिल्ली में पहला पैकेज गुरुग्राम-दिल्ली सीमा से बिजवासन तक लगभग 4.20 किलोमीटर का है। दिल्ली में दूसरा पैकेज बिजवासन से महिपालपुर में शिवमूर्ति तक 5.90 किलोमीटर का है। प्रोजेक्ट का 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में जबकि बाकी 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। प्रोजेक्ट का 23 किलोमीटर भाग

एलिवेटेड और लगभग चार किलोमीटर भूमिगत (टनल) बनाया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे से पालम एयरपोर्ट तक जाने के लिए 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे है। इसका एलिवेटेड हिस्सा सिंगल पिलर के ऊपर बनाया गया है। निर्माण में दो लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल हुआ है जो एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना अधिक है। 20 लाख सीयूम कंक्रीट का

इस्तेमाल किया जाएगा जो बुर्ज खलीफा की तुलना में छह गुना अधिक है। प्रोजेक्ट के लिए 12 हजार से अधिक पेट्रोल का ट्रांसप्लॉट किया गया है। इसके चालू होने से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव लगभग 25 प्रतिशत कम हुआ है। **निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य** दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। **एक नजर में यूईआर-2** यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक 75.71 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के लिए तीसरे रिंग रोड के रूप में विकसित यह 6-लेन का एक्सप्रेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यह बवना, नरेला, कंझावला, मुंडका, द्वारका, सोनीपत, रोहतक, जौंद, बहादुरगढ़ सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा है। इसे द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे सहित कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है।

मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में बेहतर बनाना है। इसे तीसरी रिंग रोड के रूप में डिजाइन किया गया है, जो इनर और आउटर रिंग रोड को जोड़ता है। कई इलाकों के जुड़ने से आने वाले समय में यूईआर-2 बड़ा लाजिस्टिक हब के रूप में दिखाई देगा। **यूईआर-2 के बारे में ये भी जानिए** वर्ष 2000 में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में डिजाइन किया गया था। यह 27 प्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 सबवे से सुसज्जित एक्सप्रेसवे है। इसे ग्रीन रोड के रूप में भी विकसित किया गया है। इसमें गाजीपुर लैंडफिल से 20 लाख टन कचरे का उपयोग किया गया है। यह ई-हाईवे बनने वाले पहले राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। इसके ऊपर ई-बसों, ई-ट्रालियों और ई-कारों को चलाने की योजना है।

यह ई-हाईवे बनने वाले पहले राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। इसके ऊपर ई-बसों, ई-ट्रालियों और ई-कारों को चलाने की योजना है।





## जनता द्वारा अपना दर्द सड़कों पर रोष प्रदर्शन करने पर निगम आयुक्त एवं स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे तमाम पीड़ित नागरिकों के द्वारा

परिवहन विशेष न्यूज

ओल्ड डी सी रोड सोनीपत में आर्य समाज मंदिर एवं दुर्गा मंदिर के बीच पिछले कई महीनों से पानी के जल भराव के कारण सड़कों के गड्ढे की वजह से प्रति दिन दो पहिया एवं तीन पहिया वाहनों का नुकसान तथा पलटने के कारण



## मनीषा हत्याकांड : हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर सवाल

मनीषा की हत्या ने हरियाणा की पुलिस और शासन व्यवस्था को कठपंरे में खड़ा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चित्रण देर से लेना और परिजनों की गुहार को नजरअंदाज करना - ये सब पुलिस की लापरवाही के प्रमाण हैं - परिवार का शव न लेने का फैसला एक प्रतीक है कि अब जनता केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगी। सरकार को यह समझना होगा कि महज तबादले और निलंबन से हालात नहीं सुधरेगे। जब तक पुलिस जावाबदेह नहीं होगी और समाज में महिलाओं के प्रति नजरिये में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी दर्दनाक घटनाएँ होती रहेंगी।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

मनीषा की हत्या ने हरियाणा की पुलिस और शासन व्यवस्था को कठपंरे में खड़ा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चित्रण देर से लेना और परिजनों की गुहार को नजरअंदाज करना - ये सब पुलिस की लापरवाही के प्रमाण हैं - परिवार का शव न लेने का फैसला एक प्रतीक है कि अब जनता केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगी। सरकार को यह समझना होगा कि महज तबादले और निलंबन से हालात नहीं सुधरेगे। जब तक पुलिस जावाबदेह नहीं होगी और समाज में महिलाओं के प्रति नजरिये में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी दर्दनाक घटनाएँ होती रहेंगी।

मनीषा ग्यारह अगस्त को नरिसंग कॉलेज से लौटते समय लापता हो गईं। परिजनों ने उसी दिन पुलिस को शिकायत दी। मगर पुलिस का रवैया बेहद उपेक्षापूर्ण था। पिता

को यह कहकर टाल दिया गया कि "लड़की भाग गई होगी, खुद लौट आएंगी।" यह बयान केवल पुलिस की संवेदनहीनता नहीं दर्शाता बल्कि यह भी बताता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ अब भी पुरानी जड़ मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दर्ज की गई और कॉलेज का बंद परिपथ यंत्र का चित्रण भी तेरह अगस्त को चुटाया गया। यानी तीन दिन तक समय बर्बाद हुआ। इस दौरान मनीषा का गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को जलाने की कोशिश की गई। अगर पुलिस ने तुरंत गंभीरता दिखाई होती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह मामला हर उस परिवार के डर को सच साबित करता है जो अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते समय दिल पर पत्थर रखते हैं।

मनीषा के परिवार ने जब शव देखा तो उनका दुःख आक्रोश में बदल गया। उन्होंने शव लेने और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह प्रतिरोध केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है।

मनीषा की हत्या ने हरियाणा की पुलिस और शासन व्यवस्था को कठपंरे में खड़ा कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चित्रण देर से लेना और परिजनों की गुहार को नजरअंदाज करना - ये सब पुलिस की लापरवाही के प्रमाण हैं - परिवार का शव न लेने का फैसला एक प्रतीक है कि अब जनता केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगी। सरकार को यह समझना होगा कि महज तबादले और निलंबन से हालात नहीं सुधरेगे। जब तक पुलिस जावाबदेह नहीं होगी और समाज में महिलाओं के प्रति नजरिये में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी दर्दनाक घटनाएँ होती रहेंगी।

मनीषा ग्यारह अगस्त को नरिसंग कॉलेज से लौटते समय लापता हो गईं। परिजनों ने उसी दिन पुलिस को शिकायत दी। मगर पुलिस का रवैया बेहद उपेक्षापूर्ण था। पिता



अब और सहन नहीं होगा। जब भी व्यवस्था अपने कर्तव्य से चूकती है, जनता का आक्रोश ही उसे आइना दिखाता है। लोगों की माँग थी कि दोषियों को फाँसी दी जाए। उनकी नाराजगी केवल अपराधियों से नहीं थी, बल्कि उस तंत्र से भी थी जिसने समय रहते कार्रवाई नहीं की। बड़ते जनाक्रोश ने मुख्यमंत्री को कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने भिवानी पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया और पाँच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन और तबादले से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? क्या पुलिस सुधार का मतलब केवल नाम बदलना और कुर्सी बदलना भर है? यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाए गए अस्थायी उपाय भर लगते हैं।

विषय ने इस मामले को तुरंत मुद्दा बनाया। धरना चला। गाँव-गाँव से लोग समर्थन में पहुँचे। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि न्याय के लिए जनता को बार-बार सड़क पर उतरना पड़ता है। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए शव लेकर धरने पर बैठना पड़े? चरखी दादरी, भिवानी, बाढ़ड़ा, भांडवा और लोहारू सहित कई कस्बों में बाजार बंद हुए। सड़कों पर जाम लगा। मोमबत्ती जलाईं। निकाले गए। यह जनता का सीधा संदेश था कि

बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र का है, जिसने कभी इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। हर हत्या के बाद हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं, सड़के जाम करते हैं और कड़ी सजा की माँग करते हैं। लेकिन क्या इसके बाद हमारे समाज का रवैया बदलता है? बेटियों को घर से बाहर निकलते समय शक की निगाह से देखना, उनकी स्वतंत्रता पर बंदीश लगाना और पुलिस का रूपांग गई होगीर वाला दृष्टिकोण - ये सब हमारी सामूहिक मानसिकता की गवाही देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अपराधियों का हासला तभी टूटेगा जब समाज बेटियों को बराबरी का अधिकार और सुरक्षा का वातावरण देगा।

सुधार की राह साफ है। हर शिकायत को तुरंत दर्ज करना अनिवार्य होना चाहिए। गुरुशुद्धी के मामले में "भाग जाने" वाली सोच को खत्म करना होगा। केवल निलंबन काफी नहीं है। दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज हो और सख्त सजा मिले। कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी व्यवस्था और पुलिस पर मजबूत होनी चाहिए। महिला अपराधों की सुरक्षा शीर्ष हो और हर मामला छह महीने के भीतर निपटारा जाए। घर-परिवार से लेकर पंचायत और समाज तक यह संदेश जाकर कि बेटियों की सुरक्षा केवल सरकार नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

मनीषा हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था कितनी खोखली है। यह मामला केवल एक बेटा नहीं, बल्कि हर घर की चिंता का विषय है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो कल और कितनी मनीषाएँ इस व्यवस्था की भेंट चढ़ेंगी, कहना मुश्किल है।

### "मनीषा की अरदास"

मत रो माँ, अब मत रो, तेरी बेटा की आवाज हम सब हैं, न्याय की राह पर चल पड़े, अब जाग उठा हर जन-जन है।

गूँजे धरती, गगन गवाह, अन्याय के विरुद्ध उठे निगाह। रभाग गई होगीर कहना भूल, अब टूट चुका हर झूठा फूल।

मनीषा तेरी कसम हमें, लड़गे जब तक साँस है। न्याय की ज्वाला जलती रहे, हर दिल में अब विश्वास है।

मोमबत्तियों का यह सागर, बन जाए अग्नि का दरिया, कातिलों को सजा मिले, नारी फिर हो न दुःखिया।

मत रो माँ, अब मत रो, तेरी बेटा की आवाज हम सब हैं, न्याय की राह पर चल पड़े, अब जाग उठा हर जन-जन है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

## एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर तिरंगा लगाया

परिवहन विशेष न्यूज

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य मनीष साहू के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से 79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संस्था पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में घर घर जाकर तिरंगा लगाया



इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि 1947 में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिकता को दर्शाता है और यह भारत देश की एकता अखंडता प्रगति उन्नति समृद्धि खुशहाली का सूचक है इसलिए हम सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य है कि भारत माता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान के प्रति त्याग तपस्या समर्पण भाव के साथ कर्तव्य पथ पर सतत डटे रहने के लिए संकल्पित होकर यह संकल्प ले लें की हम सभी भारतीय एकता के एक सूत्र में बंधकर भारत देश को

विश्वगुरु बनाने के लिए हम आस्था निष्ठा दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमेशा धर्महित समाजहित भारतहित में कार्य करते रहेंगे इसीलिए शहीदों ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से भारत देश की गौरव गाथा को लिखा है उनका अद्भुत शौर्य हमारे स्वर्णिम इतिहास की एक मुकुटमणि है जो मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए कैसी परिश्रम की पराकाष्ठा हो ये शहीदों का सम्पूर्ण जीवन हम सभी भारतीयों को दृढ़ संकल्प शक्ति साहस के सुपथ पर चलने और भारत माता कि सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है जिससे हम भारतीय अपनी देशभक्ति को और विराट रूप से प्रखर कर भारत देश को विश्व के शिखर पर कीर्तिमान स्थापित करने में अपना अहम योगदान देकर भारत देश को



विश्वगुरु बनाने में सहयोग करें जिससे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ी शान के साथ हमेशा लहराता रहे इस दौरान तिरंगा लगने में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सूरज मिश्री मनीष साहू निखिल कुमार दीपक कुमार सुशील राय अमन कुमार सूरज कुम्हार विजय डंगवाल मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।



हत्यारोपी हिस्ट्रीशीटर बद्माश पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल से फरार मुद्दे में पैर में लगी थी गौली जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। अब पुलिस को चकमा देकर हुआ फुर्र पुलिस विभाग में मवा हड़कंप।

### राष्ट्रीय युगल दिवस आज

18 अगस्त, को दुनिया राष्ट्रीय युगल दिवस मना रही है। यह दिन हर साल युगलों द्वारा एक-दूसरे के प्यार और एकजुटता को संजोने के लिए मनाया जाता है। यह युगलों के बीच के अनोखे बंधन को दर्शाता है, जो याद और जीवन के अजोड़ पल रखते हैं, और साथ भिन्नकर खुरीयों और चुनौतियों साक्षा करतें हैं। पूरे देश में प्यार में डूबे दो लोग राष्ट्रीय युगल दिवस को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह दिन दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इशारा करने और उन्हें ख़ास मसहूर करने का एक ख़ास मौका देता है।

राष्ट्रीय युगल दिवस: इतिहास राष्ट्रीय युगल दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था जब एक अमेरिकी कंपनी ने अपने उत्पाद के प्रचार के लिए यह चलान शुरू किया था। हालाँकि, यह ध्यान लोकप्रिय होता गया और अंततः रिश्ते के लक्ष्यों के उत्साह के रूप में उभरा। यह आयोजन अब एक वैश्विक आयोजन बन गया है जिसे दुनिया भर के जोड़े पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं।

राष्ट्रीय युगल दिवस: महत्व राष्ट्रीय युगल दिवस एक विशेष अवसर है जो रोमांटिक रिश्तों में बंधे जोड़ों को सम्मानित करता है। यह दिन ऐसे जोड़ों को सम्मानित करने और उन्हें एक-दूसरे के साथ प्रेम प्रकटिताने, अपनी भावनाओं को साक्षा करने, अपने भावनात्मक बंधन को मजबूत करने और अपने स्नेह का इशारा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। रिश्ते में, अक्सर जोड़े एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उनके बीच का प्यार कम हो जाता है, और वे एक-दूसरे को दरकिनार करके किसी और परिवार के सदस्य पर ध्यान देने लगते हैं। हालाँकि, रिश्ते में एक-दूसरे को समझना और प्यार व परवाह की भावनाएँ साक्षा करना जरूरी है ताकि रिश्ते में विभागी बनी रहे।

जोड़े इस विशेष दिन को कैसे मनाते हैं? यह कपल के लिए अपने रोमांटिक रिश्ते को मजबूत करने का एक ख़ास दिन है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए, वे कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, जैसे वे एक फ़िल्म रात के लिए जाते हैं। \* अपना प्यार दिखाने के लिए एक-दूसरे को प्रशंसा का श्रद्धा-प्रदान करें \* एक-दूसरे को प्यार लिखकर अपने भावनाएँ व्यक्त करें \* घर पर एक शांति आनंद करके, \* याद बनाने और कई अन्य चीज़ें करने के लिए खुशियों पर जाएं

## मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!-जाना पड़ सकता है जेल!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हजारों समाज, लाखों जातियाँ, उपजातियाँ धर्म व आध्यात्मिक आस्था की जड़ कहा जाता रहा है, जिसकी गिनती विदेशों में भारतीय खूबसूरती की विशेषताओं में से एक है। कई सैलानी इस अनोखी व्यवस्था को देखने ही भारत यात्रा पर आते हैं और कहते हैं काबिल-ए-तारीफ़। इसी कारण ही भारत धर्मनिरपेक्ष देश की ताकत से प्रसिद्ध है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूँ के भारतीय रीति रिवाज को हर समाज स्तर पर अलग अलग रूप से लागू किया जाता रहा है, परंतु बहुत सी रीतियाँ और रिवाज ऐसे हैं जो करीब करीब हर समाज जाति में कामंन हैं, उन्हें में से एक है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस प्रकार के नियम समझो कि पंचायत द्वारा ही बनाए गए हैं, जो मेरा मानना है कि काफी हद तक उचित भी है। हमारी राइस सिटी गोंदिया नगरी के कुछ समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों से इस मृत्यु भोज के विषय पर मेरी लंबी चर्चा हुई तो, उन्होंने कहा हमारे समाज में मृत्यु भोज प्रतिबंधित है परंतु समाज के लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित रूप से मृत्यु भोज कर रूम करते रहते हैं। यह चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज 16 अगस्त 2025 को एक महिला ने डिस्पोजल शॉप पर बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह

उसकी 13 वीं में मृत्यु भोज कर रहे हैं। पूरे 13 दिवसीय शोक में एक लाख रुपए से अधिक खर्च आ गया है, व मृत्यु भोज पर भी करीब 40-50 हजार रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि वह मृत्यु भोज नहीं करना चाहती है परंतु कुछ समाज के लोगों ने कहा इससे समाज वाले उंगली उठाएंगे, बदनाम करेंगे, व सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी। इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। बस! इसलिए मैंने आज इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोचा और मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू की तो, मुझे राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 मिला, जिसके तहत मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है, जेल जाना पड़ सकता है। उसमें 1 साल की सजा व 1000 रुपए जुर्माना की सजा है। दूसरा 13 दिसंबर 2023 तारीख की राजस्थान पुलिस की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, मृत्यु भोज करने और उसमें शामिल होना कानूनी दंडनीय अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, इसलिए आओ मिलकर इस कुरीति को समाज के से दूर करें, इसका विरोध करें। जूँकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय अपराध है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे। परिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति/धार्मिक संस्कार पर बस छोड़ो। राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान होना जरूरी है। साथियों बात अगर हम मृत्यु भोज की करें तो, हिंदू परिवारों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए परिवार अंतिम संस्कार के बाद विधि विधान से तेरह दिन पर तेरहवीं के रूप में मृत्यु भोज रखते हैं, मगर राजस्थान पुलिस का फरमान देख लगता है कि वह लोगों का अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। राजस्थान पुलिस ने 13 दिसंबर की सुबह सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था - मृत्यु भोज करना और उसमें शामिल होना कानून दंडनीय

है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, तो क्या किसी को भोज दे ही नहीं? असल में मृत्यु भोज एक आज का नहीं है, यह 1960 से है। इसमें साफ लिखा है कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है। सजा के रूप में एक साल तक का या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें साफ है कि धार्मिक संस्कार के तहत रखे गए भोज में से जो ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। एक बने इतने साल बीत गए मगर हकीकत यह है कि लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। राजस्थान पुलिस के दृष्टिकोण पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया थी कि क्या ऐसा भी कोई कानून है। ऐसा कहने वाले भी कम नहीं थे कि यह उनका निजी विषय है। एक ने एक्स पर लिखा-ऐसे हिंदू विरोधी कानून बंद करें। यह हिंदू धर्म के लिए टीका नहीं है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। हर ईसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही करता है। तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में भी पोस्ट किया। एक ने लिखा-हमारे यूपी में भी ऐसा कानून होना चाहिए। मरने के बाद धर्म संकेत में डालकर लूटने वालों की दुकानों पर ताला लगाना चाहिए। राजस्थान में कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज 2 लोगों के तर्क से बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शोकाकुल परिवारों को मृत्यु भोज के लिए धर्म संकेत में डालना जाता है? राजस्थान से तालुका रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने सबसे पहले पुलिस को टोल करने वालों को जवाब दिया। वह बताते हैं-टोल करने वालों में ज्यादातर लोग प्रदास के बाहर के हैं। शायद इन्हें नहीं पता होगा कि राजस्थान में नुकता यानी मृत्युभोज कितनी बड़ी कुरीति रही है। राजस्थान में शादियों में ढाई-तीन हजार लोगों को आमंत्रित किया जाता है और मृत्युभोज में भी इतनी ही तादाद में भोज कराने का दबाव रहता है। बेशक खाने के आइटम शादी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। यहां तक कि अगर घर



मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1960 क्या है?

मैं किसी युवा शख्स की मौत होती है तो भी इतना बड़ा भोज करने का दबाव रहता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देता है। कई बार तो कर्ज लेना पड़ जाता है। पुलिस की कानूनी बंदीश यह कहती है कि आप सौ-सौ से ज्यादा लोगों को भोज न दें। साथियों बात अगर हम राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की मुख्य धाराओं की करें तो, परिभाषा - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्याय अपेक्षित न हो, -(ए) मृत्यु भोज का अर्थ है किसी व्यक्ति के निधन के अवसर पर या उसके संबंध में किसी भी अंतराल पर आयोजित या दी जाने वाली दावत और इसमें एक नुकता, एक मोसल और एक चहलूम शामिल हैं, और (बी) मृत्यु भोज आयोजित करने या देने में तैयार या बिना तैयार भोजन की वस्तुओं का वितरण शामिल है, लेकिन इसमें धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्कारों के पालन में परिवार के लोगों या पुरोहित वर्ग के व्यक्तियों या फागीरों को खाना खिलाना शामिल नहीं है, जो कि इससे अधिक नहीं है। कुल मिलाकर सौ व्यक्तियों की संख्या। (3) मृत्यु भोज का निषेध-राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित नहीं करेगा, न देगा, न शामिल होगा, न ही भाग लेगा। (4) धारा 3 के उल्लंघन के लिए सजा- जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी भी उल्लंघन को

करने के लिए उकसाता है, उकसाता है या सहायता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों के साथ। (5) निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति- यदि धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मृत्यु भोज की व्यवस्था की गई है या होने वाली है या दी जाने वाली है तो ऐसी अदालत आयोजन को रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है या ऐसे मृत्यु भोज देना (6) धारा 5 के तहत निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए सजा- जो कोई भी, यह जानते हुए कि धारा 5 के तहत एक आदेश जारी किया गया है, ऐसे निषेधाज्ञा की अवज्ञा करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी हस्ताक्षर के किसी भी उल्लंघन पर एक वर्ष या पांच रुपये तक की सजा का प्रावधान किया गया है। (1000/- या दोनों) (7) सरपंच आदि जानकारी देने के लिए 1953 (1) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953) का राजस्थान अधिनियम 21) के तहत स्थापित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रत्येक पंच और प्रत्येक पटवारी और संबन्धदार धारा 4 या के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम निक्टटम मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 6 कोई भी जानकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसे अपराध को करने या करने के इरादे के संबंध में उसके पास हो। (2) ऐसे किसी भी सरपंच, पंच, पटवारी या संबन्धदार को उप-धारा (1) के तहत आवश्यक जानकारी देने में

विफल रहने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह धारा सरपंच और प्रत्येक पंच या ग्राम पंचायत, पटवारी और संबन्धदार के लिए धारा 6 में से 5 के तहत अपराध की जानकारी निक्टटम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य बनाती है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है और इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों। (8) पैसा उधार लेने या उधार देने पर कर (9) कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित करने या देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से धन या सामग्री उधार नहीं लेगा या उधार नहीं देगा। (2) इस जानकारी के साथ या उधार लेना या उधार देने पर कर (9) अपराध का क्षेत्राधिकार और संज्ञान- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, या उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी। (10) अधिभोजन के लिए परिसीमा- कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!- जाना पड़ सकता है जेल। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय है। (पाठ्यारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति या धार्मिक संस्कार इस्तेमाल बहस छोड़ो-राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान होना जरूरी है।

# अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने ऑरस सेनेट में पहुंचे रूस के राष्ट्रपति, कितनी सुरक्षित है लिमोजीन कार

ऑरस सेनेट रूस के राष्ट्रपति पुतिन हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। इस दौरान पुतिन जिस कार में गए वह राष्ट्रपति की आधिकारिक कार ऑरस सीनेट है। यह कार व यों दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों की कारों में से एक है। इसमें किस तरह की सुरक्षा को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन दिया जाता है। इसकी बाजार में व या कीमत है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के राष्ट्रपति हैं। हाल में ही उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई। इस बैठक के लिए ट्रंप जहां एयरफोर्स वन से पहुंचे, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी लिमोजीन कार से पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार कौन सी है। इसे कितना सुरक्षित बनाया गया है। किस निर्माता की ओर से इस गाड़ी को बनाया गया है। इसकी बाजार में क्या कीमत होगी। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

**अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने कार से पहुंचे पुतिन**

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से अलास्का में मुलाकात करने रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी आधिकारिक कार से पहुंचे। यह कार रूस की वाहन निर्माता ऑरस मोटर्स की है जिसे NAMI की ओर से विकसित किया गया है।

**क्या है खासियत**

रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह आधिकारिक कार काफी खास है। ऑरस सीनेट कार को राष्ट्रपति के लिए खास तौर पर बनाया गया है इसलिए यह एक आर्मर्ड कार है। जो कार के अंदर बैठे व्यक्ति को बुलेट, ब्लास्ट जैसे किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रख



सकती है। इसमें बेहद मजबूत चैसिस और खास सस्पेंशन सिस्टम को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार VR10 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा के साथ आती है।

**कैसा है इंटीरियर**

जानकारी के मुताबिक ऑरस सीनेट कार का इंटीरियर भी बेहद लज्जरी के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें उच्च तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें लज्जरी और आरामदायक सीटें, बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर

अपहोलस्ट्री को दिया गया है।

**कितना दमदार इंजन**

रूस के राष्ट्रपति के लिए बनाई जाने वाली इस गाड़ी में 4.4-लीटर की क्षमता का हाइब्रिड इंजन V8 मिलता है जो इसे 598 हॉर्स पावर और 889 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ नौ स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। यह कार ऑल व्हील ड्राइव भी है और यह 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को सिर्फ छह सेकेंड में पकड़

सकती है। इसकी टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

**कितनी होगी कीमत**

ऑरस सीनेट कार को सबसे पहले 2018 में पेश किया गया था। तब इसकी कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपये बताई गई थी। जिसे 2021 में बढ़ाकर करीब 2.40 करोड़ रुपये के आस पास कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किए गए बदलावों के साथ ही इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है।

**बाइक का इंजन ऑयल कब बदलें? अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भारी नुकसान, जानें पूरी डिटेल**

परिवहन विशेष न्यूज

बाइक इंजन ऑयल भारत में बड़ी संख्या में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। बाइक का इंजन सही तरह से काम करता रहे इसके लिए इंजन ऑयल काफी जरूरी होता है। अगर इंजन ऑयल खराब या कम हो जाए तो गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कब इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** देश में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। कई लोग बाइक का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं तो कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही बरतने पर इंजन को भी नुकसान होता है। कई बार लोग इंजन ऑयल को बिना बदले और चेक किए भी चलाते हैं। लेकिन ऐसा करना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इंजन ऑयल को कब बदलना (bike engine oil change) बेहतर रहता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

**लापरवाही से नुकसान**

किसी भी बाइक में इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इंजन के लिए सबसे जरूरी इंजन ऑयल होता है। कई बार लोग इंजन और इंजन ऑयल को लेकर लापरवाही बरतते हैं। जिससे बाद में उनको भारी नुकसान हो जाता है।

**मैनुअल बुक पढ़ना जरूरी**

निर्माता की ओर से अपनी हर बाइक के साथ मैनुअल बुक या ई-मैनुअल बुक दी जाती है। बाइक की मैनुअल में हर बात की जानकारी के साथ ही यह भी जानकारी होती है कि किस बाइक में किस तरह के



इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। साथ में यह भी जानकारी दी जाती है कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए। इसे पढ़कर आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि इंजन ऑयल को कब बदलना सही होगा।

**इंजन से आवाज**

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से सामान्य से ज्यादा आवाज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इंजन ऑयल को बदलना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी बाइक में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो इंजन की आवाज काफी कम हो जाती है, लेकिन जब भी ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन से आने वाली आवाज बढ़ने लगती है।

**ओवरहीट होने पर भी चेक करें**

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से ओवरहीट होने लगती है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि इंजन ऑयल खराब हो गया हो। इसके साथ ही यह भी खतरा होता है कि इंजन में ऑयल का स्तर काफी कम हो गया हो। ऐसा होने पर इंजन को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर इंजन ऑयल को चेक कर उसे बदल देना चाहिए।

## इस हफ्ते लॉन्च होगी हीरो मोटोकॉर्प की नई बाइक, 125 सीसी सेगमेंट में मुकाबला होगा कड़ा



हीरो की नई बाइक हीरो मोटोकॉर्प की ओर से देश में कई सेगमेंट में बाइक स की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते नई 125 सीसी बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से किस तरह के फीचर्स और इंजन के साथ नई बाइक को लॉन्च किया जाएगा। इसे किस कीमत पर लॉन्च करवाया जाएगा। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई तरह की बाइक्स की बिक्री की जाती है। प्रमुख वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प भी कई सेगमेंट में अपनी बाइक्स की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते में एक और नई बाइक को बाजार में लॉन्च (Hero New Bike) करने की तैयारी की जा रही है। इसे किस कीमत, फीचर्स और सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**हीरो लॉन्च करेगी नई बाइक**

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारतीय बाजार में एक और नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा।

**टेस्टिंग के दौरान देखी गई थी बाइक**

हीरो की नई बाइक को लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिसमें कई फीचर्स की जानकारी मिली थी।

**कैसे होंगे फीचर्स**

निर्माता की ओर से अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को क्लूज कंट्रोल जैसे फीचर के साथ देखा गया था। जिससे यह पता चलता है कि हीरो की नई बाइक में कारो वाले इस क्लूज कंट्रोल फीचर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

**कितना दमदार इंजन**

नई बाइक में हीरो का 125 सीसी का मौजूदा इंजन दिया जा सकता है। इसमें 124.7 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूलड इंजन का उपयोग किया जा सकता है। जिससे इस बाइक को 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इस इंजन के साथ निर्माता की ओर से पांच स्पीड गियरबॉक्स को दिए जाने की उम्मीद है।

**कब होगी लॉन्च**

निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हीरो की नई बाइक को भारत में 19 और 20 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे ग्लैमर नाम से ही लाया जा सकता है।

**किनसे होगा मुकाबला**

हीरो की नई बाइक को बाजार में 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस बाइक का बाजार में सीधा मुकाबला होंडा शाइन 125, एसपी 125, बजाज पल्सर 125, टीवीएस जैसी बाइक्स

## रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे ट्रंप, साथ में किया खास कार में सफर, कितनी सुरक्षित है 'द बीस्ट'



पुतिन-ट्रंप बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलार्क में मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार The Beast में सवारी की। इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक व यों कहा जाता है। इसमें किस तरह की सुरक्षा को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन दिया जाता है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** अमेरिका के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। फिलहाल इस पद पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके पास दुनिया की सबसे सुरक्षित कार द बीस्ट भी है। ट्रंप ने हाल में ही अलास्का का दौरा किया जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान वह अपनी आधिकारिक कार द बीस्ट में नजर आए। यह कार कितनी सुरक्षित है। हम

आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**ट्रंप और पुतिन की हुई मुलाकात**

अलास्का में हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों अपनी अपनी आधिकारिक कारों के साथ नजर आए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक कार ऑरस सीनेट है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार द बीस्ट है।

**कितनी सुरक्षित है द बीस्ट**

द बीस्ट जनरल मोटर्स की ओर से खास तौर पर बनाई गई कैडिलैक लिमोजीन कार है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। रिपोटर्स के मुताबिक, इस पर न तो गोली और न ही हम-बारूद का असर होता है। जिसकी वजह से यह एक बख्तरबंद कार के रूप में भी जाना जाता है। इस कार को सैन्य ग्रेड ऑर्मर से लैस किया गया है, जो पांच इंच मोटा है। इसके दरवाजे आठ इंच मोटे हैं और इनका वजन एक

बोर्डिंग 757 जेट के कैबिन डोर के बराबर है।

**कितना दमदार इंजन**

अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार के तौर पर उपयोग की जाने वाली द बीस्ट में काफी दमदार इंजन दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें आठ हजार सीसी की क्षमता का डीजल इंजन दिया जाता है जिससे 800 बीएचपी की पावर मिलती है। इसके दमदार इंजन और सुरक्षा फीचर्स के कारण इसका वजन नौ हजार किलोग्राम से ज्यादा हो जाता है।

**कितनी है कीमत**

आमतौर पर राष्ट्रपति के लिए बनाई जाने वाली कार में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन रिपोटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली द बीस्ट की कीमत करीब 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आस पास है।

## गाड़ी का स्टेयरिंग वाइब्रेट हो रहा है तो हो जाएं सावधान, ये हैं 4 बड़े कारण, जिनकी वजह से हो सकता है भारी नुकसान

कार स्टीयरिंग कंपन भारत में बड़ी संख्या में लोग कार का उपयोग करते हैं। लेकिन काफी कम लोगों को ही सही तरह से कार चलाना आता है। अगर आप भी लापरवाही से कार चलाते हैं तो कई बार कार के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या आ जाती है। कार में यह समस्या किन कारणों से होती है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** भारत में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का उपयोग करते हैं। कई बार छोटी लापरवाही के कारण भी कार में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी ही एक परेशानी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की होती है। यह परेशानी किस तरह की लापरवाही के कारण होती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**सस्पेंशन में खराबी आना**

जब कार को लंबे समय तक खराब सड़कों पर चलाया जाता है। तो कार के सस्पेंशन में खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक बार सस्पेंशन में खराबी आ जाती है तो फिर गाड़ी चलाने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या होने लगती है। अगर इस समस्या को समय रहते दूर न करवाया जाए तो फिर गाड़ी में और भी कई तरह की परेशानियों के आने का खतरा बढ़ जाता है। जिसे ठीक करवाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

**ब्रेक रोटार में खराबी**

गाड़ी को चलाने का सही तरीका काफी कम



लोगों को पता होता है। ज्यादातर लोग जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो काफी तेज ब्रेक लगाते हैं। जिससे कार के ब्रेक रोटार में खराबी आ जाती है। जब ब्रेक रोटार खराब हो जाए तो भी कार चलते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है। ब्रेक रोटार और ब्रेक पैड मिलकर ही कार को रोकते या स्पीड को कम करते हैं। लेकिन इनके खराब होने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन हो जाता है।

**अलाइनमेंट आऊट होना**

गाड़ी के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन को दूर रखने के लिए अलाइनमेंट का सही होना भी जरूरी होता है। गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट जब आऊट हो जाए तो कार चलते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने की

समस्या आ जाती है। ऐसा होने पर कार एक दिशा में जाने लगती है। साथ ही वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। इससे बचने के लिए समय समय पर कार के अलाइनमेंट को चेक करवाना चाहिए। ऐसा करने से स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या को दूर रखा जा सकता है।

**लापरवाही बरतने पर**

अगर कार चलाते हुए लापरवाही बरती जाए और लंबे समय तक गाड़ी को खराब सड़कों, खराब ड्राइविंग पैटर्न के साथ चलाया जाता है तो भी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा मौसम में काफी ज्यादा बदलाव के कारण भी होने लगता है।

## क्या अब स्टेट हाईवे के लिए अलग से फास्टैग लेना पड़ेगा? वहां टोल शुल्क कैसे कटेगा?

क्या सालाना फास्टैग पास लेने के बाद स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग से फास्टैग लेना जरूरी होगा? जानिए स्टेट हाईवे पर टोल कैसे कटेगा?

15 अगस्त से पूरे देश में FASTag Annual Pass (फास्टैग वार्षिक पास) शुरू हो गया है। यानी अब अगर कोई गाड़ी इस पास के जरिए हाईवे से गुजरेगी तो उसे 1 साल में 200 ट्रिप तक अलग से टोल नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए एकमुश्त 3000 रुपये पहले से भरने होंगे।

**कहां-कहां मान्य होगा वार्षिक पास**

15 अगस्त से शुरू हुआ यह फास्टैग वार्षिक पास सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचआई) द्वारा संचालित हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि यह पास किसी भी स्टेट हाईवे, राज्य सरकार की सड़कों या प्राइवेट टोल रोड्स पर लागू नहीं होगा।

**स्टेट हाईवे पर अलग पास की जरूरत है या नहीं?**



कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अब स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग पास बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक पास वहां काम नहीं करेगा। तो इसका जवाब है - नहीं। इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल, वार्षिक पास सीधे आपके गाड़ी में लगे फास्टैग से जुड़ा रहेगा। यानी अगर आप एनएचआई के हाईवे पर चलेंगे तो वहां वार्षिक पास लागू होगा और टोल नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेट हाईवे पर आएं, वहां का टोल

आपके सामान्य फास्टैग बैलेंस से कटेगा।

**कैसे कटेगा टोल स्टेट हाईवे पर**

अगर आप एनएचआई के हाईवे पर सफर करते हुए बीच में स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो वहां का टोल अपने-आप आपके फास्टैग से कट जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपके फास्टैग वॉलेंट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।

**किसके अधीन होते हैं स्टेट हाईवे**

स्टेट हाईवे पर टोल वसूली का सिस्टम राज्य सरकार या निजी ऑपरेटर्स के हाथ में होता है। यह एनएचआई या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। इसी वजह से वार्षिक पास वहां लागू नहीं होता।

**फास्टैग रिचार्ज रखें**

यदि साफ है कि वार्षिक फास्टैग पास सिर्फ एनएचआई के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है। स्टेट हाईवे पर इसके लिए कोई अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। वहां भुगतान सामान्य फास्टैग से होगा, बस ध्यान रखें कि उसमें बैलेंस होना चाहिए।





# ताकि किशतवाड़ और धराली जैसी आपदाओं से बचा जा सके !

दिन-ब-दिन प्रकृति मानव को अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भूस्खलन हो, भू-धंसाव हो, बाढ़ हो (अतिवृष्टि), बादल फटना हो, अनावृष्टि हो ( सूखा ), भूकंप हो या सुनामी सब कहीं न कहीं, कोई माने या नहीं माने, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों से ही जुड़े हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बादल फटने की घटनाएँ अब केवल प्राकृतिक आपदाएँ भर नहीं रहनी, बल्कि इनमें मानवीय लापरवाहियों और अवैज्ञानिक विकास कार्यों की भी बड़ी भूमिका है। इसच तो यह है कि ऐसी घटनाएँ मानव जनित संकट हैं। आज के समय में जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ बढ़ी हैं। पहाड़ी ढलानों पर अचानक अत्यधिक पानी गिरने से वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और लेव्स्टाइड, फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। मानवीय गतिविधियों या कार्यों की बात करें, तो कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में अनियंत्रित निर्माण कार्य प्राकृतिक आपदाएँ जन्म ले रही हैं। आज नदियों और ढलानों पर घर, होटल, सड़कें बनाने से जलधाराओं के प्राकृतिक मार्ग मानव ने बाधित कर दिए हैं। सच तो यह है कि मानव हद से ज्यादा स्थलों और लालची होता चला जा रहा है। ज्वशों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और जंगलों के घटने से पानी रोकने की क्षमता खत्म हो गई है। पर्यटन का दबाव भी है। हर साल लाखों

की संख्या में आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक स्थानीय पारिस्थितिकी पर बोझ ( वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण ) डालते हैं। यह बहुमत ही दुखद है कि आज संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की ईमानदारी और पूर्ण ईच्छाशक्ति के पूर्ण तैयारियों नहीं की जातीं। अक्सर यह देखा गया है कि विभिन्न तीर्थयात्राओं व मेलों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने और सुरक्षित मार्ग बनाने की अनदेखी होती है। आज सड़कें, घर और होटल और विभिन्न निर्माण कार्य बिना भू-वैज्ञानिक अध्ययन किए ही निर्माण कर लिए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अतिक्रमण किया जाता है। ग्रीन टूरिज्म की ओर हमारा ध्यान कम ही होता है और इसका परिणाम हमें भुगताना पड़ता है। हाल ही में हमने देखा कि उत्तरकाशी के धराली में जान-माल को बहुत क्षति पहुंची। हमने देखा कि धराली में बीते पांच अगस्त को खीरगंगा से आई बाढ़ ने मिनटों में बाजार, होटल और घर बहा दिए। कई लोग असमय काल के ग्रास बन गए। आंकड़े बताते हैं कि ( विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशोती-पड्डूर (नियंत्रण रेखा के पास स्थित गाँव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो



गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए सैलाब में साठ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और सैकड़ों लोग लापता हो गए। जानकारी के अनुसार यह बादल चशोती में फटा, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गाँव है, जहाँ किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खबरों में आया है कि हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर बन गए। आंकड़े बताते हैं कि ( विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशोती-पड्डूर (नियंत्रण रेखा के पास स्थित गाँव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो

गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए सैलाब में साठ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और सैकड़ों लोग लापता हो गए। जानकारी के अनुसार यह बादल चशोती में फटा, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गाँव है, जहाँ किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खबरों में आया है कि हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर बन गए। आंकड़े बताते हैं कि ( विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशोती-पड्डूर (नियंत्रण रेखा के पास स्थित गाँव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो

गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए सैलाब में साठ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और सैकड़ों लोग लापता हो गए। जानकारी के अनुसार यह बादल चशोती में फटा, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गाँव है, जहाँ किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खबरों में आया है कि हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर बन गए। आंकड़े बताते हैं कि ( विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशोती-पड्डूर (नियंत्रण रेखा के पास स्थित गाँव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो

गया। बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अचानक आए सैलाब में साठ से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और सैकड़ों लोग लापता हो गए। जानकारी के अनुसार यह बादल चशोती में फटा, जो मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित है। यह आखिरी गाँव है, जहाँ किसी गाड़ी से पहुंचा जा सकता है। खबरों में आया है कि हादसे के समय मचैल माता की यात्रा चल रही थी, जिसकी वजह से रूट पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की वार्षिक यात्रा को स्थगित कर बन गए। आंकड़े बताते हैं कि ( विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ) धराली क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। धराली में बादल फटने से हुई तबाही से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि जम्मू-कश्मीर के किशतवाड़ जिले के चशोती-पड्डूर (नियंत्रण रेखा के पास स्थित गाँव) में भी ठीक वैसा ही हादसा हो



मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

कोरेमूला स्थित श्री आई माता मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में श्री आईमाता जी भजन मंडली की ओर से 'ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। अवसर पर उपस्थित संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, सचिव डायाराम लवेदा, राजाराम गेहलोत, राजाराम पंवार, प्रकाश खंडला, ताराराम परिहारिया, रामलाल राठौड़, बाबूलाल परिहार, पुनाराम हाम्बड़, देवाराम परिहार, कमल किशोर एवं समाजबंधु।



## राउरकेला में हत्यारे ने पिता को बेटे की हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी

राउरकेला/भुवनेश्वर: केस वापस करो, वरना तुम भी अपने बेटे की तरह मर जाओगे। पल्ले तो तुमने अपने बेटे की जान ली और मैं नहीं। लोकेशन इस हत्या के वस इतना ही यकीन नहीं हुआ। जेल से लौटने के बाद बेटे ने अपने पिता को हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी। बदलाग ने फिर पर बंदूक तानकर मुक्त के पिता को इसी धमकी दे दी। राउरकेला शहर में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है। राउरकेला शहर के छेड वीएसएस मार्केट में 9 अगस्त को मुकेश कर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। अब उस हत्याकांड के आरोपी जमानत पर बाहर आ गए हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद, हत्यारों ने एक और कांड कर दिया है। बदलागों ने युवक के पिता सुधीर कुमार को हत्या का मामला वापस



लेने की धमकी दी है। उन्होंने उसके सिर पर बंदूक रखकर केस वापस लेने की धमकी दी। दरना तुम्हें भी तुम्हारे बेटे की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद मुक्त मुकेश के पिता सुधाय पाली उठे-सुठे पुलिस थाने पहुंचे। यह घटना अब स्थानीय इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।

हत्या का मामला वापस ले तो वरना वे तुम्हें भी उसी तरह मार देंगे जैसे उन्होंने तुम्हारे बेटे को मारा था। खबरों के मुताबिक, वे आरोपी पल्ले किसी हत्या के मामले में शामिल नहीं थे। कल शान, जब मुक्त मुकेश के पिता सुधीर झुट्टी से घर लौट रहे थे, तभी तीन युवकों ने उनके सीने और सिर पर तीन बंदूकें तान दीं और मुकेश की हत्या का केस वापस लेने की धमकी दी। बेटे की हत्या का गन शरीर कम भी नहीं हुआ था कि बदलागों की धमकियों ने परिवार को फिर से परेशान कर दिया है। डर और आशंका के चलते मुक्त के पिता और माता दोनों रघुनाथपाली थाने पहुंचे और धमकी देने वाले बदलागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई।

## उपपल न्यूरो अस्पताल में हड्डियों एवं जोड़ों से जुड़े रोगों के मुफ्त कैंप में 325 से ज्यादा मरीजों ने चेकअप करवाया

अमृतसर 17 अगस्त (साहिल बेरी) रानी का बाग स्थित उपपल न्यूरो अस्पताल में आठवां दिवस के उपलक्ष्य पर हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित रोगों की जांच के लिए मुफ्त चैक-अप कैंप लगाया गया। कैंप में हड्डियों में कम्पजोरी का पता लगाने के लिए बी एम डी टेस्ट भी मुफ्त किया गया साथ ही सभी प्रकार की जांचों में भारी छूट भी दी गई। डॉ अशोक उपपल जानकारी देते हुए बताया कि आज कल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हार्मोनल बदल रही है ऐसे में हड्डियों को देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि आजकल हड्डियों एवं जोड़ों से जुड़े रोगों के इलाज में पहले से भी बहुत ज्यादा प्रगति हुई है जिससे इलाज करना और भी आसान एवं सटीक हो गया है। उन्होंने बताया कि उपपल न्यूरो अस्पताल में हड्डियों के माहिर डॉ पर्व ओहरी नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैंप के दौरान डॉ पर्व ओहरी ने



बताया कि पूरे भारत में लगभग 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानि हड्डियों, घुटनों एवं जोड़ों के कमजोर हो जाने की बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं पर दुःख की बात है कि सिर्फ 20 प्रतिशत लोगो का इलाज ही पाता है। इस लिए आज मुफ्त कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उपपल अस्पताल में संपूर्ण रूप से हड्डियों के रोगो का विभाग शुरू हो गया है जिसमें सभी

प्रकार की आधुनिक तकनीकों द्वारा जोड़ बदलने के ऑपरेशन, चूला बदलने के ऑपरेशन, कन्या बदलने के ऑपरेशन, बच्चों में हड्डियों के बिकार या चोट का इलाज, एससीडेंट के दौरान लगने वाली गंभीर लघो का इलाज, खेलों के दौरान लगने वाली चोटों का आधुनिक तकनीक लेजर सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है जिससे खिलाड़ी एक से दो महीने में पूर्ण रूप से पहले वाली स्थिति में आ जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हड्डियों की किसी भी समस्या होने पर घबराने नहीं किसी भी अयोग्य मालिश करने वाले के पास न जायें उन्होंने कहा कि अगर रोजमर्रा के काम करने में आपको मुश्किल आ रही है आपको दर्द की दवाई खानी पड़ रही है तो आप हड्डियों के डॉक्टर से जरूर मिलें, व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, और स्वस्थ रहें।



बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्ष उल्लास के साथ मनायी गयी। पंडित गोविंद शर्मा व मंगलाराम पंवार द्वारा पूजा-अर्चना कर 56 भोग लगाए गए। आईमाता भजन मण्डली के अचलाराम हाब्सड व महानलाल भायल एंड पार्टी ने भजन प्रस्तुत किए। अवसर पर गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सचिव हुक्मराम सानपुरा, बंदूक सचिव ढगलाराम सेपटा, कोषाध्यक्ष नायरायण परिहार, भाराराम मुलेवा, मोतीलाल काग, भंवरलाल मुलेवा, नेमीचंद काग, चन्द्र प्रकाश गेहलोत, हीरालाल चोयल, चेताराम परिहार, पारसमल शर्मा, किशनलाल पंवार, बाबूलाल मुलेवा, अशोक प्रजापत, जयराम पंवार, गोपाराम मुलेवा, मंगीलाल परिहार, लादुराम सीरवी, ओमप्रकाश परिहार, ओमप्रकाश काग, मोतीलाल राठौड़, अशोक पंवार (माली) महिला मंडल मैना देवी सीरवी, सुनाना बाई सीरवी, प्रेमा देवी सानपुरा, पुरी बाई सीरवी, नीतू सीरवी, गणकी सीरवी, कमला सीरवी व अन्य उपस्थित थे।

## झारखंड के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने तीनों सिंहभूम मे न्यायालयों का सपत्नीक किया दौरा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड सरायकेला, रांची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने रविवार को सरायकेला एवं चाईबासा तथा जमशेदपुर न्यायालय में पहुंचे। व्यवहार न्यायालय के सभी इजलासों के साथ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। चाईबासा व्यवहार न्यायालय की साफ सफाई को देख कर वे काफी खुश हुए। वे झारखंड के और भी जिलों के न्यायालयों का निरीक्षण करते हुए चाईबासा पहुंचे थे। यहां की साफ-सफाई को अन्य जगहों से बेहतर बताया। इस अवसर पर चाईबासा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर समेत सभी न्यायाधीश और कर्मचारी उपस्थित थे। चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान से चाईबासा बार एसोसिएशन के सचिव फादर अगस्तिन कुल्लू ने नेतृत्व में बार के सभी पदाधिकारी और अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर फादर अगस्तिन कुल्लू, पवन शर्मा, दुर्गोधन गोप, विमल विश्वकर्मा, अनिल सुंड़ी समेत बार के अधिकारियों उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश 1620 में स्थापित सरायकेला प्रिसली स्टेट ऐटिहासिक शहर स्थित न्यायालय का सपत्नीक निरीक्षण किया। सनद रहे कि सरायकेला राजा को फांसी तक देने का अधिकार उनका राज्य का न्यायालय उन दिनों रखता



था जब देश में प्रिंसली एवं ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था। जिस सरायकेला में कभी मुगल, मराठा तथा अंग्रेजों का यूनिशन जैक कभी नहीं फहरा अंततः सरदार पटेल के समक्ष उसका पंचगातिरंगों में विलय हुआ था जिसमें राजकीय तत्कालीन राजतंत्र का न्यायापालिका भी था। और तो और सुप्रीम कोर्ट का एक नंबर का केस भी सरायकेला स्टेट वसेंस यूनिशन ऑफ इंडिया रहने के कारण आजादी के बाद भी पटना व कट के न्यायालयों में इस शहर की तत्कालीन न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा होती रही। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ-साथ समाज और प्रकृति की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। गत शुक्रवार को चांडिल न्यायालय का भी निरीक्षण उन्होंने किया था जिसकी विधिवत् उद्घाटन पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति ए वी रमन्ना ने 23 जूलाई 2022 रांची आकर वर्रुल रूप से की थी। न्यायमूर्ति रमन्ना प्रारंभिक दिनों में

एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ पत्रकार भी रहे। चांडिल में न्यायालय स्थापना उस इलाके के लिये मील का पत्थर था। इस अवसर पर सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामशंकर सिंह, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, डालसा सचिव तीसरी मंराज सहित जिला न्यायालय के सभी जज, न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद थे। उधर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पहुंचकर न्यायालय परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने तथा न्याय दिलाने में पारदर्शिता और तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एलएडीसी अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने अधिवक्ताओं से समाजहित में कार्य करने और न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। जस्टिस चौहान ने न्यायालय परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अदालत परिसर में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर होनी चाहिए ताकि वादकारी और अधिवक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

## पंजाब सरकार की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा की शहादत से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह आयोजित

अमृतसर, 17 अगस्त (साहिल बेरी) पंजाब सरकार की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा की शहादत से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह शहीद मदन लाल स्मारक, जौल बाग में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के पर्यटन एवं जल नदी स लातौराट सिंह भूतार और लोक निर्माण एवं जलजोती पंजाब राज्य सरकार के सहायक सचिव डी.टी.ओ. ने शिरकत की। सबसे पहले दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ विकासार्थी, अजय गुप्ता, मेयर श्री जितेंद्र सिंह मोठी भाटिया, डीटी कर्मिश्नर श्रीमंत सांजी साहनी, चेरमेन श्री करमजीत सिंह रिट्ट, डीटी पुलिस कर्मिश्नर श्री आलम दिवस सिंह, श्रीविक्रम डीटी कर्मिश्नर श्री शोभन गुप्ता, एस.डी.एस. स.गुरुसमर्थ सिंह दिल्ली, श्री जसकरन बंदेरा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स लातौराट सिंह भूतार ने मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान की ओर से शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों

की कुर्बानियों की बदौलत ही देश आजाद हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद और उनके परिवार शरद की अनमोल धरोहर और पूंजी है। आज की युवा पीढ़ी को शहीदों द्वारा दिखाए गए मार्ग से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों देशभक्तों और शहीदों योद्धाओं ने बलिदान दिए और स्वतंत्रता को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री भूतार ने शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक को 5 ताप्य रुपये देने की स्वीकृति मंजूर की है और कर दस को पत्र भेजा। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री स रमनज सिंह डी.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान की सरकार शहीदों द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने अपना पद भी शहीद मदन सिंह के पैरुके गैंग खटक कला में ही

अर्पण किया था और उनका मुख्य श्रेय देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के सपनों को पूरा करना है। विकासार्थी अजय गुप्ता ने शहीद ढींगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम उस कबर के निवासी हैं, जहाँ मदन लाल ढींगरा का जन्म हुआ। उन्होंने शहीद की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल्याण के लिए मुख्यमंत्री पंजाब का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों ने अपनी जान की पवना फिर बिना लगे स्वतंत्रता दिलवाई है और हमारा भी कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। समारोह को संबोधित करते हुए शहीद मदन लाल स्मारक की संरक्षक और पूर्व मंत्री कैमन लक्ष्मीकाता वादवा ने कहा कि शहीदों के स्थानों पर इस प्रकार के मेले लगे जा लगे रहेंगे। उन्होंने स्मारक की स्थापना के लिए शहीदों के परिवारों को याद किया और सरकार तथा शासन द्वारा दिए गए सन्मान के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में स्टूडी बन्धी द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए और पुलिस बंद द्वारा देशभक्ति की धुनों के साथ शहीदों को

श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले शहीद मदन लाल स्मारक की ओर से टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ शहीद शहीद मदन लाल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद की स्मृति में एक स्मरणदायक शिदर भी आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति की ओर से दोनों कैबिनेट मंत्रियों को स्मृति ध्वज भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर शहीद मदन लाल स्मारक के प्रधान डॉ. रोहेरा शर्मा, जिता विकास एवं पर्यावरण अधिकारी श्री संदीप मल्लोहा, चेरमेन श्री स्ट्रीट सिंह आरुणकुमारिया, चेरमेन श्री दिव्याजीत सिंह, चेरमेन श्री सहाय सांजी, एस.डी. श्री संदीप सिंह, श्री अरविंद मंडी, कैमन माता वादवा, श्री मंत्रीप सिंह मंत्री, सुमप्रदीप सिंह खालता, पार्षद श्री विककी दा राठी अन्य हस्तियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहीदों के परिवारजनों भी मौजूद थे।

